

पटवारी रिपोर्ट  
 श्रीमान जी वर्तमान जमाबंदी अनुसार धार्मी ने बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लोन लिया था परन्तु बडौदा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विलय के बाद ग्रामीण बैंक में होने से धार्मी का बैंक <sup>का नाम</sup> दुरुस्त कर राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किया जाने पर अति हीमंद्गु रिपोर्ट श्रीमान जी के समक्ष रखी है

पट. कालिका

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट  
 श्रीमानजी, पटवारी रिपोर्ट के अनुसार बैंक के नाम की शुद्धि किया जाना उचित होगा। - श्री कामाखेड़ी  
 26/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व ILR पथप्रस्तावित  
 2025  
 519  
 शिविर प्रमारी  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

**प्रमारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"**

क्रमांक / 227

दिनांक:- 01-10-25

**आदेश**

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कानाखेड़ी तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2074-2077 के खाता संख्या 33/31 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
ख. स. 33/31	पान्ची पत्नी पदम सिंह शर्मा बडौदा राजस्थान जमाबंदी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खानाखेड़ी	किताना-2	0.39	पान्ची पत्नी पदम सिंह शर्मा राज. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का खानाखेड़ी	किताना-2	0.39
		क्रमांक - 5173-74				दिनांक - 01-10-25

1. तहसीलदार नसीराबाद का पालावरी  
 2. आदेश पत्रावली

प्रमारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर

